न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 11/2016

बउनवान

राजस्थान सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां (राज.)

(प्रार्थी)

बनाम

1– श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री बंशीधर निवासी हाट बाजार छीपाबडौद जिला बारां। मैसर्स श्रीनाथ इन्टरप्राईजेज, हाट चौक छीपाबडौद जिला बारां।

2– श्री सुनिल हेमनानी पुत्र श्री परम राम हेमनानी। मैसर्स मोहित ऐजेन्सी, 181 शॉपिंग सेन्टर, कोटा।

3– श्री धमेन्द्र हंसराज कोटक पुत्र श्री एच0एस0 कोटक (नोमिनि) Nestle India Litmited, C/o M/s Laxmi Agency, E-168 Road Number 9J, V.K. Industrial Area Jaipur-302013

4– Nestle India Limited M-5A, Connaught Circus P.O. Box no. 17, New Dehli-110001

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (II) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)

2– श्री श्री प्रदीप कुमार गुप्ता अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 29.05.2019

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 05.06.2015 को मैसर्स श्रीनाथ इन्टरप्राईजेज, हाट चौक छीपाबडौद जिला बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री बंशीधर की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 05.06.2015 को कार्या. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहां खाद्य पदार्थ **नुडल्स (मैगी)** 70 ग्राम के 40 पैकिट विक्रय हेतु रखे हुऐ था। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **नुडल्स (मैगी)** मे मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर मालिक को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली।

आवेदक द्वारा खाद्य पदार्थ **नुडल्स (मैगी)** 70 ग्राम के 32 पैकेट को वास्ते नमूना जांच हेतु अप्रार्थी से खरीदे, जिसकी कीमत श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री बंशीधर को 320/—रू. नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहन श्री कौशल किशौर व श्री नरेन्द्र नागर के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने खरीदशुदा **नुडल्स (मैगी)** 70 ग्राम के 32 पैकेट मूल को चार भागों में विभाजित कर खाली साफ एवं सूखे डिब्बों में भरा गया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एएच—477 दर्ज किया, प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग—2 कागज मे लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बारॉ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. एएच—477 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें एवं सीलबन्द नमूनो पर गवाह के हस्ताक्षर करवाकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना लेकर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते मे लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री बंशीधर ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ नियमानुसार तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे श्री मुरलीधर सुमन च0श्रे0 कर्मचारी कार्यालय बारा द्वारा मुख्य खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर फार्म की पुष्ट पर रसीद प्राप्त की गई। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं0 06 की दो प्रतियो के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 06 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारां के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2015/237 दिनांक 03.08.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक L.S./1601/Act /2015/555 दिनांक 24.07.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **नुडल्स (मैगी)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **अवमानक व मिथ्याछाप (Sub Standard & Mis Branded)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने अनुसंधान हेतु मैसर्स श्रीनाथ इन्टरप्राईजेज, हाट चौक छीपाबडौद जिला बारां से पत्रांक 241 दिनांक 03.08.2015 द्वारा खाद्य अनुज्ञा/रजि0 पत्र एवं क्रय बिल प्रति चाही गई। जिसके प्रतिउत्तर में प्रस्तुत खाद्य रजि0 पत्र एवं क्रय बिल नं0 MOHIT00070 दिनांक 27.04.2015 की छाया प्रति पेश की गई। मैसर्स मोहित ऐजेन्सी, 181 शॉपिंग सेन्टर, कोटा को लिखे गये पत्र 297 दिनांक 10. 09.2015 व 385 दिनांक 20.11.15 एवं 469 दिनांक 23.12.15 द्वारा खाद्य अनुज्ञा पत्र, फर्म मालिक, पार्टनर व वाणिज्य कर रजि0 की प्रति चाही गई जिसके प्रतिउत्तर में फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र, क्रय बिल 937488845 दिनांक 23.03.2015 संलग्न कर पेश किया गया। Nestle India Litmited, C/o M/s Laxmi Agency, E-168 Road Number 9J, V.K. Industrial Area Jaipur-302013 से पत्रांक 381 दिनांक 20.11.2015 वं 67 दिनांक 15.02.2016 द्वारा खाद्य अनुज्ञा पत्र, नोमिनी आई.डी. पार्टरन व वाणिज्य कर

रजि. की प्रति चाही गई, उन्होने जिसके प्रतिउत्तर में नोमिनि फोर्म नं. 9, वेट–03 फॉर्म एवं खाद्य अनुज्ञा पत्र की छाया प्रति भिजवाई गई जिसमें श्री धमेन्द्र हंसराज कोटक पुत्र श्री एच0एस0 कोटक (नोमिनि) Nestle India Litmited, C/o M/s Laxmi Agency, E-168 Road Number 9J, V.K. Industrial Area Jaipur-302013 का होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दर्ज दिनांक 12.05.2016 को रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा मय अभिभाषक उपस्थित होकर प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत कर अंतिम सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण मे उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **नुडल्स (मैगी)** का विक्रय किया जा रहा है, वह जॉच मे **अवमानक व मिथ्याछाप (Sub Standerd & Mis Branded)** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है।

अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कहा गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना संग्रहण के समय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की आज्ञापक धारा–47(1) का अनुपालन नहीं किया व नमूना कार्यवाही के प्रारूप 5(क) की सूचना विपक्षी कम्पनी पर तामील नहीं की, जिसके कारण विपक्षी विनिर्माता कम्पनी संग्रहित नमूने के दूसरे भाग की जॉच प्रत्यायित प्रयोगशाला से कराने के अपने महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित हो गयी। माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा 2015(1) F.A.C.56 मैसर्स नेस्ले इण्डिया लि0 बनाम् भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण में अपने निर्णय में धारा–47(1) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम को आज्ञापक घोषित किया है।

यह कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की धारा–46(4) के अनुसार विपक्षी खाद्य विश्लेषक की आख्या के विरूद्ध अपील अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है व यदि अभिहित अधिकारी उचित समझता है, तो मामले को रैफरल प्रयोगशाला को भेजेगा। उक्त मामले में खाद्य विश्लेषक की आख्या प्राप्त होने के पश्चात धारा–46(4) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि0 2006 का नोटिस अभिहित अधिकारी बारां द्वारा विपक्षी विनिर्माता कम्पनी को दिया ही नहीं गया। उपरोक्त कारण से विपक्षी विनिर्माता कम्पनी एक बार पुनः नमूने के दूसरे भाग की रैफरल लैब से कराने के अपने अधिकार से वंचित हो गयी। माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा 2015(2) F.A.C. 340 मैसर्स नेस्ले इण्डिया लि0 बनाम् राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा–46(4) के अन्तर्गत खाद्य व्यापारकर्ता को दिये गये अधिकार को उसका कानूनी अधिकार घोषित किया है। माननीय उच्च न्यायालय मद्रास द्वारा रिट पिटीशन सं019499/2014 में दिनांक 22–07–2016 को निर्णय पारित कर यह अवधारित किया है कि यदि विपक्षी कम्पनी पर प्रारूप–5क तामील नहीं किया गया है और ना ही खाद्य विश्लेषक की आख्या धारा–46(4) के अन्तर्गत प्रेषित की गयी है तो इसका अभिप्राय है कि विपक्षी को उसके मूल्यवान कानूनी अधिकार से वंचित कर दिया गया है और उससे बचाव का अवसर छीन लिया गया है। ऐसी स्थिति में विपक्षी के विरूद्ध प्रारम्भ की गयी कानूनी प्रक्रिया शून्य होगी। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा–46(4) के समान ही खाद्य विश्लेषक की आख्या के विरूद्ध नमूने के दूसरे भाग की जॉच कराने का अधिकार पूर्व प्रचलित अधिनियम खाद्य अपमिश्रण एवं निवारण अधिनियम–1954 की धारा–13(2) में विपक्षी को प्राप्त था, जिसके बारे में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा 2018 (1) F.A.C. 355 राज्य बनाम् इस्माइल अयूब साहेब नादेफ में अपने निर्णय में अवधारित किया गया है कि उक्त धारा का अनुपालन मात्र औपचारिकता नहीं है यह विपक्षी का नमूने की जॉच

केन्द्रीय प्रयोगशाला से कराने का मूल्यवान अधिकार है। इस मामले में विपक्षी के दोष मुक्ति के निर्णय के विरूद्ध अपील को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि विपक्षी को नमूने के दूसरे भाग की जॉच कराने का अवसर नहीं दिया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 2018 (1) F.A.C. 388 महेश यादव एवं अन्य बनाम् राजस्थान राज्य एवं अन्य में अवधारित किया है कि नमूने के दूसरे भाग की जॉच उच्च प्रयोगशाला से कराने के कानूनी अधिकार का हनन होने पर कार्यवाही समाप्त किये जाने योग्य है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ही 2017(2) F.A.C.390 बापूलाल यादव बनाम् राजस्थान राज्य में अवधारित किया है कि खाद्य विश्लेषक की जॉच आख्या के विरूद्ध नमूने की जॉच केन्द्रीय प्रयोगशाला से कराने का विपक्षी का अधिकार कानूनी व मूल्यवान है। इस हेतु आज्ञपक रूप से नोटिस दिया जाना व यह सिद्ध करना भी आवश्यक है कि नोटिस दिया गया है, साथ ही दिया गया है, से अभिप्राय विपक्षी पर तामील से है।

यह कि उक्त वाद में नमूना संख्या–एएच–477 की जॉच मुख्य खाद्य विश्लेषक, जयपुर के द्वारा की गयी है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की धारा–3(पी) एवं धारा–43 के अनुसार अधिनियम के अन्तर्गत धारा–47 के अनुसार लिये गये नमूने की जॉच उस खाद्य प्रयोगशाला द्वारा की जायेगी जो एन.ए.बी.एल. द्वारा एक्रीडेटेड हो साथ ही भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (F.S.S.A.I.) द्वारा अधिसूचित हो। उक्त जॉच मुख्य खाद्य विश्लेषक, जयपुर न तो एन.ए.बी.एल. द्वारा एक्रीडेटेड है और ना ही F.S.S.A.I द्वारा अधिसूचित। माननीय उच्च न्यायालय बॉम्बे द्वारा 2015 (1) F.A.C. 56 मैसर्स नेस्ले इण्डिया लि0 बनाम् भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण एवं अन्य में निर्णय पारित करते समय उक्त बिन्दू की विस्तृत विवेचना की है व निर्णय के पैरा 93 में विस्तार से वर्णन करते हुए अवधारित किया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 के अन्तर्गत संग्रहीत नमूने की जॉच करने वाली खाद्य प्रयोगशाला को दो शर्तों का पालन करना अनिवार्य है प्रथम व एन.ए. बी.एल. द्वारा एक्रीडेटेड हो व द्वितीय F.S.S.A.I. द्वारा अधिसूचित हो एवं उक्त दोनों ही शर्तों का पूरा किया जाना अनिवार्य है। उल्लंघन की स्थिति में ऐसी प्रयोगशाला की आख्या पर विधिक कार्यवाही संचालित नहीं की जा सकती है। नमूने के विश्लेषण के समय राजस्थान राज्य हेतु एन.ए.बी.एल. द्वारा एक्रीडेटेड उन खाद्य प्रयोगशाला की सूची जो F.S.S.A.I. द्वारा अधिसूचित है लिखित बहस के साथ संलग्न की जा रही है।

यह कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, जयपुर द्वारा अपनी आख्या L.S./1601/Act/2015/555 दि0 24.07.2015 द्वारा नमूना संख्या–ए एच–477 को **अवमानक व मिथ्याछाप (Sub Standerd & Mis Branded)** घोषित किया गया है। नमूना संख्या एएच–477 नूडल्स (मैगी) का था, जिसके मूल पैक में दो खाद्य पदार्थ मौजूद थे, एक नूडल्स व द्वितीय टेस्ट मेकर अर्थात सीजनिंग जो कि प्रोपराइटरी फूड है। एफएसएसएआई द्वारा प्रार्थी/विनिर्माता कम्पनी के उक्त उत्पाद को प्रोडक्ट एप्रूबल दिया गया है।

यह कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम–3.1.2 के अनुसार अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत रहते हुए कारमल रंग किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलाया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम–2011 की (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य सहयोज्य) विनियम–2011 की सारिणी– 10 के अनुसार टेस्ट मेकर (सीजनिंग) में जीएमपी (गुड मैन्यूफैक्चरिंग प्रैक्टिस) के आधार पर कारमल रंग मिलाया जा सकता है। यह कि एफएसएसएआई की एडवाइजरी दिनांक 08–06–2015 एवं वर्ष–2016 में जारी सातवें संशोधन के अन्तर्गत सीजनिंग में कारमल रंग की उपस्थिति अनुज्ञप्त नहीं थी। किन्तु पुनः 28–12–2017 को एफएसएसएआई के निर्देशन एवं दिनांक 12–11–2018 को जारी शासकीय गजट के अनुसार टेस्टमेकर (सीजनिंग) में कारमल रंग 10 हजार मिलीग्राम प्रति किलोग्राम मिलाया जा सकता है।

यह कि खाद्य विश्लेषक ने टेस्ट मेकर के पाउच पर आवश्यक जानकारियां अंकित न होने के कारण नमूना को **अवमानक व मिथ्याछाप (Sub Standerd & Mis Branded)** घोषित किया है जो त्रुटिपूर्ण है व अधिनियम की मंशा के विपरीत है। क्योंकि उक्त टेस्ट मेकर के विषय में सम्पूर्ण जानकारी बाह्य पैक पर स्पष्टतः अंकित है जिससे ग्राहक को उक्त खाद्य के विषय में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। क्योंकि ग्राहक खाद्य के क्रय के दौरान बाह्य पैक पर अंकित सूचना के आधार पर ही खाद्य क्रय करता है। साथ ही पैक के अन्दर मौजूद टेस्ट मेकर पृथक रूप से बिक्री हेतु नहीं है और साथ ही उस पर सूचनायें अंकित करने में मुद्रण स्याही खाद्य (नूडल्स) के सीधे सम्पर्क में आ जायेगी, जिससे खाद्य के असुरक्षित होने की आशंका उत्पन्न हो जायेगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा भी हाल ही में यह उद्घोषणा की है कि खाद्य पदार्थ मुद्रण स्याही के सीधे सम्पर्क में नहीं आना चाहिए। खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग व लेबलिंग) विनियम–2011 के विनियम 2.2 के अनुसार प्रत्येक पूर्व पैक खाद्य पर अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक जानकारियां अंकित होंगी। साथ ही विनियम 1.2.8 के अनुसार पूर्व पैक खाद्य से अभिप्राय खाद्य जो किसी भी प्रकार के पैकेज में इस प्रकार रखा गया है कि उसके तत्व को पैकेज को बिना क्षतिग्रस्त किये बदला न जा सके और जो ग्राहक को बिक्री हेतु तैयार है। विपक्षी कम्पनी का वाह्य पैक पूर्व पैक खाद्य की श्रेणी में आता है व उस पर अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक समस्त जानकारियॉ अंकित की गयी हैं।

यह कि प्रार्थी/विपक्षी विनिर्माता कम्पनी का उत्पाद 03/2015 में विनिर्मित है अतः एफएसएसएआई की एडवायजरी दिनांक 08–06–2015 उक्त उत्पाद पर लागू नहीं की जा सकती। क्योंकि इस प्रकार एडवायजरी अपने जारी होने के दिनांक से भी पूर्व समय से प्रभावी हो जायेगी। अर्थात उसका भूतलक्षी प्रभाव होगा। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

यह कि एफएसएसएआई की एडवायजरी दिनांक 08–06–2015 भी विधिक दृष्टि से शून्य है व विधिक उपबन्धों के विपरीत है। एफएसएसएआई द्वारा उक्त एडवाइजरी में नूडल्स व टेस्टमेकर के मानक निर्धारित कर दिये गये हैं जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि02006 की धारा–16 (2) का विषय है जिसको प्रभाव में लाने के लिए धारा–92 एवं 93 के अन्तर्गत संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना अनिवार्य है जिसका अनुपालन उक्त एडवायजरी के मामले में नहीं किया गया है। यह कि पूर्व में भी ऐसी एडवायजरी एफएसएसएआई द्वारा जारी की गयी थी, जिसे माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा रिट सं02746/ 2013 व्हाइटल न्यूट्रासिटीकल प्रा0लि0 अन्य बनाम् भारत संघ में निर्णय दिनांक 01–08–2014 द्वारा यह कहकर शून्य कर दिया गया कि एफएसएसएआई द्वारा धारा–16 (2) के विषय पर जारी एडवायजरी कानून का प्रभाव नहीं रखती, यदि वह धारा–92 व 93 के अनुपालन में संसद के दोनां सदनों के समक्ष न रखी गयी हो। यह कि एफएसएसएआई द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत स्पेशल रिट पिटीशन (सिविल) 23772–74/2014 भी उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गयी व बॉम्बे उच्च न्यायालय का आदेश पुष्ट कर दिया गया।

यह कि विपक्षी विनिर्माता कम्पनी द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी उल्लंघन/अपराध नहीं किया है व उक्त न्याय निर्णायक कार्यवाही न्यायहित में रद्द किये जाने योग्य है।

इसके विपरीत प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया कि धारा 47(1) एवं धारा 46(4) की पालना में अप्रार्थी क्रम 1 को मुख्य विश्लेषक, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक L.S./1529/Act /2015/438 दिनांक 17.06.2015 के बाद खाद्य पदार्थ **नुडल्स (मैगी)** की पुनः जांच करवाये जाने हेतु, जर्ये पत्र सूचित किया जाकर, एक माह का समय दिया गया था। अप्रार्थी क्रम 1 का दायित्व था कि निर्माता कम्पनी को सूचित किये जाने का किन्तु उनके द्वारा पुनः जांच नही करवायी गई है। है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने प्रकरण में प्रार्थी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) एवं अप्रार्थीगण के अभिभाषक की उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक L.S./1601/Act/2015/555 दिनांक 24.07.2015 व दोनों पक्षों द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तथ्यों की गहनता से मनन एवं विश्लेषण किया। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अवलोकन किया। पत्रावली से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण खाद्य उत्पाद मैगी नूडल्स की निर्मात्री कम्पनी नैस्ले इण्डिया लिमिटेड के प्राधिकृत वितरक है और सम्पूर्ण खाद्य पदार्थ बिल कैशमेमों द्वारा ही क्रय विक्रय किया जाता है। मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ मैंगी नूडल्स की जांच एफएसएसएआई की एडवाईजरी दिनांक 08.06.2015 के आधार पर जांच की गई, जिस एडवाईजरी में दिये गये स्टेण्डर्ड के तहत कलर नही होना चाहिऐ, किन्तु कलर पाये जाने पर **अवमानक (Sub Standerd)**घोषित किया गया व मूल पैकेट के अन्दर रख कर मसाला पाउच पर किसी प्रकार की लैबलिंग सूचना नही पाये जाने पर **मिथ्याछाप (Mis Branded)** घोषित किया गया। किन्तु अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा अवगत कराया गया कि एडवाईजरी नमूना लेने की दिनांक के पश्चात जारी की गई है एवं कम्पनी द्वारा अन्दर रखे मसाला पैकेट पाउच की पूर्ण जानकारी बाहरी कवर पर पूर्णतः से एक्ट अनुसार अंकित की गई है एवं बताया गया की नमूना लेने की दिनांक तक प्रोपराईटरी फूड मैंगी नूडल्स के मानक तय नही होने से कम्पनी द्वारा नियमो की पालना कराया जाना सम्भव नही था। मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर द्वारा खाद्य पदार्थ मैंगी नूडल्स की पूर्ण जांच एडवाईजरी दिनांक 08.06.2015 के आधार पर जांच किये जाने से रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण है तथा प्रकरण निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी नोटिस निरस्त करते हुए प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)